उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-3/48/पांच-8-2016-म(04)/2015

लखनऊ: दिनांक 05 जनवरी, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2014 में अनारक्षित अग्रेनीत पदों पर चयन के फलस्वरूप पत्र संख्या-287(6)/58/डी0आर0/सेवा-8/2012-13, दिनांक 22-09-2015 में 15 चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 5400/- में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर संलग्न सूची के अनुसार कुल 14 चिकित्साधिकारियों को मौलिक एवं अस्थायी रूप से नियमित नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 के नियम 18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से शर्त क्रमांक-5 में निर्धारित अवधि में सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे।

3- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न निर्धारित शपथ पत्र के प्रारूप पर अपने चरित्र प्राग्वृत्त का सत्यापन स्वयं करेगा। उसमें यदि कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें शासन स्तर से तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

क्रमश:

4- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर(एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुन: संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी **दिनांक 02-02-2016** तक अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होगें तथा शर्त क्रमांक-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे उक्त निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6- नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु चिकित्साधिकारियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7- चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्नक प्रारूप में)

(2) अभियोजन न चलाये जाने, न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा चरित्र प्राग्वृत्त सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आने पर सेवायें समाप्त करने के सम्बन्ध में शपथ पत्र (संलग्न प्रारूप पर)

(3) उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(4) ओथ एलीजियन्श का प्रमाण पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

क्रमश:

(6) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।

(7) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।

(8) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

8- संलग्न सूची में अंकित चिकित्साधिकारियों में से यदि कोई चिकित्साधिकारी पूर्व से पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में कार्यरत है, तो उसे यह लिखित रूप में विकल्प देना होगा कि वह पूर्व में की गयी नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहना चाहता है या वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर। यदि किसी चिकित्साधिकारी द्वारा वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहने का विकल्प दिया जाता है, तो उसके द्वारा पूर्व में की गई सेवा की गणना वरिष्ठता निर्धारण हेतु नहीं की जायेगी।

2- प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

<u>संलग्नक-तैनाती सूची एवं शपथ पत्र का प्रारूप।</u>

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-3/48(1)/पांच-8-2016-तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-287(6)/58/डी0आर0/सेवा-8/2012-13, दिनांक 15-09-2015 के सन्दर्भ में।

3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्ति आदेश को सर्व सम्बन्धितों को अपने स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नियुक्ति में कोई भी परिवर्तन शासन स्तर से ही किया जायेगा।

क्रमश:

http://shasanadesh.up.nic.in

4- सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्त किये गये चिकित्साधिकारियों के स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था करायें तथा चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाय, जिससे कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किये गये चिकित्साधिकारी के मामले में स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।

5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।

6- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

7- सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी को इस निर्देश के साथ कि वे नियुक्त चिकित्साधिकारी को मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने पर निर्धारित तिथि तक उनके प्रस्तर-7(1) में उल्लिखित अभिलेखों को प्राप्त कर योगदान आख्या शासन को विलम्बतम एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

9- सम्बन्धित कोषाधिकारी, उ0प्र0।

10- प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

http://khabar.ndtv

ार्यालय ज्ञाप संख्या-3/48/पांच-8-2016-म(04)/2015, दिनांक 05-01-2016 की तैनाती सूची का संलग्नक-

क्र. सं.	चयन क्रमांक	अनुक्रमांक	चिकित्साधिकारी का नाम/पिता/ पति का नाम/ पत्र व्यवहार का पता	श्रेणी	गृह जनपद	योग्यता/ विशेषज्ञता	प्रस्तावित तैनाती
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	395क	51520090286	डा0 आकांक्षा सिंह/पुत्री श्री अक्षय कुमार सिंह/26/10-ए, भावापुर, पो0आ0-जी0टी0बी0 नगर, इलाहाबाद	सामान्य	इलाहाबाद	एम0बी0बी0एस0	जौनपुर
2.	395ख	51520076666	डा0 राम नरेश/पुत्र श्री बंश लाल/ग्राम-बबई, पो0-गौरा, ब्लाक- अमौली, जिला-फतेहपुर-212631	सामान्य	फतेहपुर	एम0बी0बी0एस0	हमीरपुर
3.	395ग	51520269609	डा0 कुमार अजय/पुत्र श्री कुमार विनोद अग्रवाल/गार्डर विक्रेता, सादाबाद रोड राया, थाना-राया, जिला- मथुरा-281204	सामान्य	मथुरा	एम0बी0बी0एस0	पीलीभीत
4.	395घ	51510154691	डा0 सनी दुआ/श्री खैराती लाल दुआ/ द्वारा चौधरी राम एण्ड सन्स, पुरानी ग्रेन मार्केट, नियर गुरूद्वार, किच्छा, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 263148	सामान्य	उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड	एम0बी0बी0एस0	बरेली
5.	395ड़	51520210604	डा0 पवन कुमार सिंह/ पुत्र श्री जयसिंह/ग्राम-पुरबी सेन, पो0-गौरा डान्ड, जिला-प्रतापगढ़-230503	सामान्य	प्रतापगढ़	एम0बी0बी0एस0	गाजीपुर
6.	395च	51520234011	डा0 याज्ञवेन्द्र सिह राघव/पुत्र श्री बलबीर सिंह राघव/म0नं0- 153, डाक बंगला रोड, सरायमीरा, कन्नौज	सामान्य	कन्नौज	एम0बी0बी0एस0	प्रतापगढ़
7.	395छ	51520181445	डा0 अविजित शर्मा/ पुत्र श्री अशोक कुमार शर्मा/395, सिविल लाईन, स्टेशन रोड, ललितपुर-284403	सामान्य	ललितपुर	एम0बी0बी0एस0	हमीरपुर
8.	395ज	51520075153	डा0 आशिष राय/पुत्र श्री अशोक राय/द्वारा श्री अशोक पंडा, भरूहना रोड, मिर्जापुर- 231001	सामान्य	मिर्जापुर	एम0बी0बी0एस0	सोनभद्र
9.	395झ	51520155316	डा0 केतन अनन्त/ पुत्र श्री जगदीश प्रसाद अग्रहरी/म0नं0-24, पीताम्बर विहार कालोनी, कंचनपुर मटियारी, चिनहट, लखनऊ-227105	सामान्य	लखनऊ	एम0बी0बी0एस0	बलरामपुर
10.	395ञ	51520097085	डा0 पल्लवी/पत्नी श्री धर्मेश्वर श्रीवास्तव/ म0नं0-29, मारूती धाम, एकता पुलिस चौकी के सामने, शमशाबाद रोड, आगरा	सामान्य	आगरा	एम0बी0बी0एस0	फिरोजाबाद
11.	395ट	51510205737	डा0 सुमित मैकनाइट/ पुत्र श्री समुयल मैकनाइट/10/46, सिविल लाईन, नियर एस0-1 जान्स स्कूल, रूड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड- 247667	सामान्य	हरिद्वार, उत्तराखण्ड	एम0बी0बी0एस0	सहारनपुर
12.	395ड	51520199639	डा0 रवि शंकर शर्मा/ पुत्र श्री अमर सिंह शर्मा/74/जय देवी नगर, पंचवटी कालोनी (एस0आई0सी0ए0), मेरठ-250001	सामान्य	हापुड़	एम0बी0बी0एस0	बहराइच

क्रमशः

13.	395ढ	51520002485	डा0 अरविन्द कुमार सिंह/ पुत्र श्री शम्भू नाथ सिंह/म0नं0- 15/49, ए-1/एस, उसरपुरवा भरली, शिवपुर बाईपास, वाराणसी-221003	सामान्य	गाजीपुर	एम0बी0बी0एस0	मऊ
14.	395ण	51520347546	डा0 जीवन प्रकाश/पुत्र श्री जागेश्वर प्रसाद/ ग्राम-अमनपुर, पो0- कर्वी, जनपद-चित्रकूट-210205	सामान्य	चित्रकूट	एम0बी0बी0एस0	बांदा

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

चरित्र प्रमाण-पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि डा0------------------------पुत्र श्री---------------------------
निवासी--
को विगत--------------------वर्षो/माह में व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। मेरे संज्ञान में ऐसे कोई तथ्य नहीं हैं, जो इनके प्रतिकूल हो।

डा0--------------------------------मेरे निकट सम्बन्धी नहीं है, उनके उत्कृष्ट चरित्र एवं प्राग्वृत्त के अनुसार उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।

हस्ताक्षर-------------------------
निवासी--------------------------

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत एलापैथिक चिकित्साधिकारी के पदों पर लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2014 में चयनित चिकित्साधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का प्रारूप:-

----

समक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक----------------------शपथ पत्र डा0------------------------ पुत्र श्री/डा0--------------------------------निवासी---------------------------जनपद-------------------मैं डा0------------------------------- शपथकर्ता उपरोक्त निम्नलिखित बयान करता हूँ:-

1. यह कि शपथकर्ता की नियुक्ति शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या------------------------------- दिनांक ---------------द्वारा उ0प्र0 प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के सामान्य उपसंवर्ग के पद पर नियुक्त करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक---के अधीन तैनात किया गया है।
2. यह कि शपथकर्ता के विरूद्व कोई आपराधिक मामला अथवा अन्य कोई ऐसा मामला लम्बित अथवा विचाराधीन नहीं है, जो उसे उक्त पद पर योगदान करने अथवा शासकीय सेवा करने के लिए आयोग्य ठहराता हो।
3. यह कि शपथकर्ता के चरित्र एवं प्राग्वृत्त संगठन का सदस्य नहीं है।
4. यह कि शपथकर्ता के चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन में कोई अन्यथा तथ्य एवं प्रतिकूल तथ्य पाये जाने की दशा में मेरी नियुक्ति निरस्त कर विधि समस्त कार्यवाही की जाती है, तब प्रश्नगत नियुक्ति/तैनाती के सम्बन्ध में कोई अधिकार/दावा/क्षतिपूर्ति क्लेम नहीं करूँगा और उ0प्र0 शासन को अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये मेरी नियुक्ति निरस्त/समाप्त कर दें।

दिनांक---------

<u>सत्यापन</u>

मैं डा0-----------------शपथकर्ता ईश्वर की शपथ लेकर/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि उक्त शपथ-पत्र के प्रस्तर-1 से 4 के तथ्य मेरे निजी ज्ञान में सच व सही है, कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद करे।

दिनांक--------------

(शपथकर्ता)